राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
जिमनामराम वगैरह बनाम् पुरखाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 221/2021

वादीगण-

1. जिमनाराम पुत्र पुरखाराम
2. धासीराम पुत्र पुरखाराम

जातियान-जाट निवासीगण-बोड़िद कलां ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. पुरखाराम पुत्र नानगराम
2. छोटू देवी पुत्री पुरखाराम
3. सोहनी देवी पुत्री पुरखाराम

जातियान- जाट निवासीगण-बोड़िद कलां , तहसील जायल (नागौर)

4. तहसीलदार, जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/10/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा बोड़िद कलां तहसील जायल में खेत खसरा नं. 409/225 रकबा 0.0180 गैर मुमकिन रास्ता , खसरा नंबर 410/225 रकबा 2.2482 हैक्टेयर मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 679 रकबा 2.3472 हैक्टेयर , खसरा नंबर 985 रकबा 2.3795 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व घ) के अनुसार कर सिंव-नींव अलग-अलग कर ली। जिसका

14/10/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 जिमनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 985 रकबा 2.3795 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी संख्या 2 धासीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद कलां का खेत खसरा नबर 410/225 रकबा 2.2482 हैकटेयर व खसरा नंबर 409/225 रकबा 0.0180 हैक्टेयर पूरा गैर मुमकिन रास्ता रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 679 रकबा 2.3472 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 14.10.2021 को कैम्प कोर्ट राजोद में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का स्वयं से उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह जिमनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम बोड़िद कलां तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 72 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम दुगस्ताउ तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 386 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा बोड़िदकलां एवं दुगस्ताउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 985, 410/225, 409/225 की भूमि को वादीगण के तथा मुतदाविया शेष खसरा 679 माफिक राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंट चाहा है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के मुतदाविया खेतायों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

संख्या 2 से 3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिये मौजा बोड़िद कलां 409/225 , 410/225 एवं मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 985, 679 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़िद कलां 409/225 , 410/225 एवं मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 985, 679 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जिमनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 985 रकबा 2.3795 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 धासीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद कलां का खेत खसरा नबर 410/225 रकबा 2.2482 हैकटेयर व खसरा नंबर 409/225 रकबा 0.0180 हैक्टेयर पूरा गैर मुमकिन रास्ता रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 679 रकबा 2.3472 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 3 छोटू देवी व सोहनी देवी के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट— प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
जिमनामराम वगैरह बनाम् पुरखाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 201/2021

वादीगण-
1. जिमनाराम पुत्र पुरखाराम
2. घासीराम पुत्र पुरखाराम
जातियान-जाट निवासीगण-बोड़िद कलां ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. पुरखाराम पुत्र नानगराम
2. छोटू देवी पुत्री पुरखाराम
3. सोहनी देवी पुत्री पुरखाराम
जातियान- जाट निवासीगण-बोड़िद कलां , तहसील जायल (नागौर)
4. तहसीलदार, जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़िद कलां 409/225 , 410/225 एवं मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 985, 679 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जिमनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 985 रकबा 2.3795 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

14/10/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. वादी संख्या 2 घासीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद कलां का खेत खसरा नंबर 410/225 रकबा 2.2482 हैक्टेयर व खसरा नंबर 409/225 रकबा 0.0180 हैक्टेयर पूरा गैर मुमकिन रास्ता रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 679 रकबा 2.3472 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 3 छोटू देवी व सोहनी देवी के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट– प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner